



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2019-आषाढ़ 14, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं न. 15221861 A Rank GNR (GD) नाम देवेन्द्र धाउसे पिता जगन्नाथ (DEVENDRA DHAUSE S/O JAGANNATH) निवासी- बासनेर खुर्द, पोस्ट- बासनेर कलां, तह. भैसदेही, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश मेरा पुराना नाम देवेन्द्र धाउसे (DEVENDRA DHAUSE) था। अब मैंने मेरा नाम बदलकर नया नाम देवेन्द्र धाड़से (DEVENDRA DHADSE) कर लिया है। अतः आज से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां-जहां मेरा नाम देवेन्द्र धाउसे (DEVENDRA DHAUSE) दर्ज है उसे देवेन्द्र धाड़से (DEVENDRA DHADSE) पढ़ा जाये तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(देवेन्द्र धाउसे)

(DEVENDRA DHAUSE)

(309-बी.)

नया नाम :

(देवेन्द्र धाड़से)

(DEVENDRA DHADSE)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश चन्द्र साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम राकेश साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 200714095 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं राकेश चन्द्र साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ और राकेश चन्द्र साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200714095 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम राकेश साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू लिखा गया है जो कि गलत है अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200714095 व अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राकेश साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू के स्थान पर राकेश चन्द्र साहू पुत्र श्री नारायण प्रसाद साहू लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(राकेश साहू)

(295-बी.)

नया नाम :

(राकेश चन्द्र साहू)

पता-सेवा नगर रोड, लोहा मण्डी,
बाबा पान भण्डार के सामने,
ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, राहुल अरोरा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रपत्र में मेरा नाम राहुल सोनी पुत्र श्री गुलशन कुमार सोनी लिखा हुआ है जबकि वर्तमान में मैं राहुल अरोरा पुत्र श्री गुलशन कुमार अरोरा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, मेरे सभी शासकीय, अद्वैतशासकीय प्रपत्र जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, बोटर कार्ड, इत्यादि में मेरा नाम राहुल अरोरा पुत्र श्री गुलशन कुमार अरोरा लिखा हुआ है। राहुल अरोरा एवं राहुल सोनी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे पूर्व के शैक्षणिक प्रपत्रों में मेरा नाम राहुल अरोरा पुत्र श्री गुलशन कुमार अरोरा अंकित किया जाये। भविष्य में भी मुझे राहुल अरोरा पुत्र श्री गुलशन कुमार अरोरा के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(राहुल सोनी)

(296-बी.)

नया नाम :

(राहुल अरोरा)

निवासी-फ्लैट नंबर-502, रुद्राक्ष पार्क,

बावडिया कला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरी शैक्षणिक अंकसूची में रीता दर्ज है, विवाह के पश्चात् भी सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रीता मुरारका दर्ज हो रहा है, परन्तु मेरे पुत्र अंशुमान मुरारका की शैक्षणिक अंकसूची में माँ का नाम रीतू मुरारका दर्ज कर दिया गया है, उक्त दोनों नाम मेरे ही नाम हैं, अतः अब सुधार कर श्रीमती रीतू मुरारका पत्नी श्री विमल मुरारका के स्थान पर मेरा नाम रीता मुरारका पत्नी विमल मुरारका ही पढ़ा-लिखा एवं माना जाये।

पुराना नाम :

(रीतू मुरारका)

(297-बी.)

नया नाम :

(रीता मुरारका)

पत्नी-श्री विमल मुरारका,

निवासी-पटेल टिंबर के पास,

फ्रैंड्स कॉलोनी, सतना, तहसील रघुराजनगर,

जिला सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम कु. मिथलेश जैन पुत्री श्री महावीर प्रसाद जैन, निवासी पचवीष्ठा स्टेशन रोड, जौरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना था। जो कि अब शादी के पश्चात् बदलकर मोना जैन पत्नी श्री नीरज जैन, निवासी जैन मंदिर के पास मामा का बाजार हैदरगंज, लश्कर, ग्वारियर (म.प्र.) हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मोना जैन पत्नी श्री नीरज जैन के नाम से जाना, पहचाना जावे तथा समस्त व्यवहार एवं मूल दस्तावेजों में इसी नाम से जाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(कु. मिथलेश जैन)

पुत्री श्री महावीर प्रसाद जैन,

निवासी-पचवीष्ठा स्टेशन रोड, जौरा,

तहसील जौरा, जिला मुरैना।

(298-बी.)

नया नाम :

(मोना जैन)

पत्नी-श्री नीरज जैन,

निवासी-जैन मंदिर के पास मामा का बाजार,

हैदरगंज लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि पूर्व में मैं, AJEET RAM BHUARYA के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में मेरा नाम AJEET RAM S/O GAINDU RAM नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा तथा मेरे समस्त रिकार्ड में भी अब यही नाम अंकित माना जावेगा।

पुराना नाम :

(AJEET RAM BHUARYA)

(305-बी.)

नया नाम :

(AJEET RAM)

S/o Gaindu Ram,

पता-म. नं. 39, तन्वी स्टेट, अमृतपुरी,

फेस-2, खजूरी कलां पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, संजीव जुनेजा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम संजय बसरा था जो कि मेरी पत्नी श्रीमती भूपेन्द्र कोर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना विभाग की सर्विस बुक में संजय बसरा लिखा हुआ है जबकि मुझे वर्तमान में संजीव जुनेजा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है। संजय बसरा एवं संजीव जुनेजा एक ही व्यक्ति के नाम है जो मेरे सभी दस्तावेज, जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, बॉटरकार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में अंकित है। अतः मेरी पत्नी श्रीमती भूपेन्द्र कोर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना विभाग के सर्विस बुक में मेरे बचपन के नाम संजय बसरा के स्थान पर संजीव जुनेजा लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(संजय बसरा)

(307-बी.)

नया नाम :
(संजीव जुनेजा)

पता-उमाकांत मिश्रा का मकान गोस्वामी रोड,
गणेश पुरा मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रिचा दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. अनीता तलरेजा पुत्री श्री भीष्म तलरेजा था। जो मेरी एल. आई. सी. पॉलिसी क्र. 202152590 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विवाह उपरात मेरा नाम श्रीमती रिचा दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा हो गया है तथा वर्तमान में मैं श्रीमती रिचा दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती रिचा दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी श्रीमती रिचा दुसेजा एवं कु. अनीता तलरेजा मेरे ही नाम। अतः मेरी एल. आई. सी. पॉलिसी क्र. 202152590 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कु. अनीता तलरेजा पुत्री श्री भीष्म तलरेजा के स्थान पर श्रीमती रिचा दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :
(कु. अनीता तलरेजा)

(306-बी.)

नया नाम :
(रिचा दुसेजा)

पत्नी श्री कमल दुसेजा,
समाधिया कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधरण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स रियल एक्ट 91, फस्ट फ्लोर रॉयल इनफील्ड शौरूम वंदना स्कूल के पास गुना में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 0113/18, दिनांक 13-08-2018 है। जिसमें दिनांक 24-06-2019 को भागीदार श्री मुरारी किरार पुत्र श्री केशव सिंह किरार, निवासी बलवंत नगर, गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 24-06-2019 को श्री महेन्द्र सिंह संधू पुत्र श्री बहादुर सिंह संधू, निवासी-36, पेंशनर मोहल्ला केंट, जिला गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स रियल एक्ट,

राहूल शर्मा,

(भागीदार)

91, फस्ट फ्लोर रॉयल इनफील्ड शौरूम,
वंदना स्कूल के पास, गुना।

(299-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म (USHA ENTERPRISES), पता-102/1, इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी, गोविन्दपुरा, भोपाल (462023) मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका फर्म पंजीयन क्र.01/01/01/0260/18, सन् 2018-19, दिनांक 03 नवम्बर, 2018 में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल संभाग मध्यप्रदेश में पंजीयन है उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 04-06-2019 को भागीदार फर्म के दोनों साझेदारों द्वारा फर्म को सह सहमती से भंग (विघटन) कर दिया है। जिसमें पार्टनर नं. (1) मनोहर भावसार आत्मज श्री शिचरण भावसार, आयु वयस्क, (2) श्री विनोय कुमार मण्डल आत्मज श्री जितेन्द्र नाथ मण्डल, आयु वयस्क उपरोक्त दिनांक 04-06-2019 से भागीदारी फर्म को भंग (विघटन) कर दिया है, आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है।

सतोष बैरागी,

पता-147, थर्ड फ्लोर सुर्देशन पैलेस होटल के पास,
एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(300-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मॉ गायत्री वेयरहाउसिंग (M/s Maa Gayatri Warehousing) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00290/12 व पंजीयन दिनांक 01-03-2012 है तथा फर्म का पंजीकृत पता 2486 ई सुदामा नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार (1) आशीष बैरागी पिता श्री राजेन्द्र बैरागी, (2) श्री रामेश्वरदास शास्त्री पिता श्री सियाराम दास शास्त्री थे. दिनांक 31-03-2019 को दोनों भागीदारों की आपसी सहमती से फर्म को भंग (Dissolve) कर दिया गया है. अतः दिनांक 31-03-2019 को साझेदारी फर्म भंग (Dissolve) हो गयी है. जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म : मेसर्स मॉ गायत्री वेयरहाउसिंग,
आशीष बैरागी,

(भागीदार).

पता-2486, ई सुदामा नगर, इन्दौर.

(301-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स पी. जी. होस्टल (M/s P. G. Hostel) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00289/12 व पंजीयन दिनांक 01-03-2012 है तथा फर्म का पंजीकृत पता-2554, सेक्टर ई सुदामा नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार (1) श्रीमती गीता बाई पिता श्री रामेश्वरदास, (2) श्री प्रवीण बैरागी पिता श्री राजेन्द्र बैरागी थे. दिनांक 31-03-2019 को दोनों भागीदारों की आपसी सहमती से फर्म को भंग (Dissolve) कर दिया गया है. अतः दिनांक 31-03-2019 को साझेदारी फर्म भंग (Dissolve) हो गयी है. जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म-मेसर्स पी. जी. होस्टल,
प्रवीण बैरागी,

(भागीदार).

पता-2486, सुदामा नगर, इन्दौर.

(302-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स श्रीराम वेयरहाउसिंग (M/s Shriram Warehousing) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00283/12 व पंजीयन दिनांक 25-02-2012 है तथा फर्म का पंजीकृत पता-12, आशा नगर बंगाली चौराहा, कनाडिया रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय चार भागीदार (1) श्री शंकरलाल पिता लक्ष्मण सिंह केलवा, (2) श्री सतीश पिता श्री दुर्गाप्रसाद पटेल, (3) श्री रामेश्वर दास शास्त्री पिता श्री सियाराम दास शास्त्री, (4) श्रीमती रामकन्या बैरागी पति श्री राजेन्द्र बैरागी थे. दिनांक 31-03-2019 को इनमें से एक भागीदार श्री रामेश्वर दास शास्त्री पिता श्री सियाराम दास शास्त्री ने निजी कारणों से फर्म में भागीदार बने रहने में असमर्थता जताई एवं रिटायर हो गए. अतः उक्त दिनांक से 3 भागीदार चालू रहने वाले भागीदार रहेंगे. (1) श्री शंकरलाल पिता लक्ष्मण सिंह केलवा, (2) श्री सतीश पिता श्री दुर्गाप्रसाद पटेल, (3) श्रीमती रामकन्या बैरागी पति श्री राजेन्द्र बैरागी जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म-मेसर्स श्रीराम वेयरहाउसिंग,
रामकन्या बैरागी,

(भागीदार).

पता-103, ग्राम सनावदा, तहसील देपालपुर,
जिला इन्दौर.

(303-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म (M/s PANDEY AGRO AGENCY) 01 Jhansi Road, Shivpuri (M.P.) पंजीयन क्रमांक 02/41/01/0224/18 में से श्री कृष्ण कांत पाण्डे पुत्र श्री राम कुमार पाण्डे, निवासी पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) दिनांक 01-04-2013 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा श्रीमती फूलवती पाण्डे पत्नी श्री राम कुमार पाण्डे, निवासी सिरसौद, जिला शिवपुरी (म.प्र.) ने दिनांक 12-10-2018 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं श्रीमती ममता पाण्डे पत्नी श्री शशी कांत पाण्डे, निवासी झाँसी रोड, जिला शिवपुरी (म.प्र.) दिनांक 12-10-2018 को फर्म में नियुक्त हुई. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

For: Pandey Agro Agency
SHASHIKANT PANDEY,
(Partner).

(304-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री कपीस स्टोन क्रेशर से दिनांक 31-03-2019 को श्री सुमन कुमार पटेल अपने स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं अनसुझया प्रसाद सिंह श्रीकांत सिंह, नीतेश सिंह फर्म में पार्टनर यथावत रहेंगे।

श्रीकांत सिंह,

(भागीदार)

(308-बी.)

पता-ग्राम जोनी, जिला रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रामदेव फूलचन्द एण्ड सन्स जिसका पंजीयन क्र. 718, दिनांक 06-09-1983 जो नाना खेड़ी मण्डी, गुना म.प्र. में स्थित है। जिसका दिनांक 31-03-2019 को भागीदार श्रीमती रेणु अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवास-जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर एवं मयंक अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी-दुवे कॉलोनी, गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स रामदेव फूलचन्द एण्ड सन्स,

रीतेश कुमार अग्रवाल,

(भागीदार)

(310-बी.)

नाना खेड़ी मण्डी, गुना (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स यशपाल ट्रैक्टर्स फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 06/09/08/0136/19, दिनांक 11-01-2019 एवं फर्म का पता म. नं. 120, अशोक सिंघई देवरी, संजय नगर देवरी, जिला सागर है। जिसमें दिनांक 20-05-2019 भागीदार कु. रूपाली जैन पुत्री श्री ऋषभ जैन, निवासी- 103, जवाहर लाल नेहरु वार्ड बन्डा, जिला सागर जो कि फर्म में 50 प्रतिशत की भागीदार हैं, जो अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई हैं चूंकि फर्म में दो भागीदारों में से एक के पृथक हो जाने के कारण फर्म स्वतः भंग हो गई है, यदि उक्त फर्म से सम्बंधित किसी को भी कोई आपत्ति हो तो कृपयाकर 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स यशपाल ट्रैक्टर्स,

रूपाली जैन,

(भागीदार)

(311-बी.)

म. नं. 120, अशोक सिंघई देवरी, संजय नगर देवरी,

जिला सागर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गोपाल दाल मिल जिसका पंजीयन क्र. 537, दिनांक 28-07-1987 जो नाना खेड़ी मण्डी, गुना मध्यप्रदेश में स्थित है जिसमें दिनांक 31-03-2019 को भागीदार श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल अग्रवाल (कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार मैसर्स ओमप्रकाश अग्रवाल एच. यू. एफ.), निवासी जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर एवं मयंक अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी दुवे कॉलोनी, गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स गोपाल दाल मिल,

गोरख अग्रवाल,

(भागीदार)

(312-बी.)

नाना खेड़ी मण्डी, गुना (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Om Sai Construction a partnership firm registered with the Registrar of Firms Indore vide a registered partnership deed with S.No: 03/27/03/00098/13, DT. 25-07-2013 The general public is hereby informed that M/s. Om Sai Construction is a partnership firm which was reconstituted on 21-06-2018 due to retirement of the partner. SMT. SUGNI DARYANI W/o SHRI DEVANDAS DARYANI by virtue of deed of retirement executed amongst themselves on 21-06-2018 The retiring partner unanimously agreed to leave the firm property in favor of the continuing partners (1) SARDAR TRILOCHAN SINGH S/o SHRI MACHHI SINGH, (2) SHRI CHANDRA PRAKASH LALWANI S/o LATE SHRI DAYARAM LALWANI,

(3) M/s AVIRAL INFRA PROJECTS PVT. LTD. to hold the same absolutely forever together with the all rights, title, lien, easements, advantages and appurtenances etc., without any further claim and interference from them or by any person or persons under them for the corresponding eligible consideration received them. By this notice continuing partners (1) SARDAR TRILOCHA SINGH S/o SHRI MACHHI SINGH, (2) SHRI CHANDRA PRAKASH LALWANI S/o LATE SHRI DAYARAM LALWANI, (3) M/s AVIRAL INFRA PROJECTS PVT. LTD. informs the public in general that, they are the only partners of M/s Om Sai Construction and who are having any transactions with above said firm now and in future they should contact continuing partners i.e. (1) SARDAR TRILOCHAN SINGH S/o SHRI MACHHI SINGH, (2) SHRI CHANDRA PRAKASH LALWANI, S/o LATE SHRI DAYARAM LALWANI, (3) M/s AVIRAL INFRA PROJECTS PVT.LTD.

YOGESH MITTAL,
(Advocate).

(313-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. संजना रिसोर्ट, जिसका पता-75, इमली बाजार, इन्दौर म.प्र. दिनांक 11-02-2015 से एक भागीदारी फर्म है. उक्त भागीदारी फर्म में 1. श्री कमल जैन एवं 2. श्री मनीष जैन भागीदार थे. जिसमें से दिनांक 24-08-2016 को श्री मनीष जैन जी फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये थे एवं श्रीमती सपना सोजतिया जी नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गई थीं.

अब दिनांक 16-05-2019 को श्री कमल जैन फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं श्री मंयक सोजतिया जी नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

अब इस फर्म का संचालन श्रीमती सपना सोजतिया एवं श्री मंयक सोजतिया जी कर रहे हैं।

मैसर्स संजना रिसोर्ट,
सपना सोजतिया,
(भागीदार).

(314-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गुरुकृपा एसोसियेट जिसका पंजीयन क्रमांक 00192/14, दिनांक 04-03-2014 है जो एफ-148, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर में स्थित है जिसमें दिनांक 01-02-2016 को भागीदार (1) सुनील कुमार यादव पुत्र श्री केशव सिंह यादव, (2) पांडुरंग राव कदम पुत्र श्री बसंत राव कदम, (3) श्री दुर्ग विजय सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह ये तीनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-02-2016 से श्रीमती विद्या यादव पत्नी श्री रमेश सिंह यादव, निवासी-एफ-148, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर एवं श्री कमलकांत यादव पुत्र श्री रमेश सिंह यादव, निवासी-एफ-148, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म-मैसर्स गुरुकृपा एसोसियेट,
रमेश सिंह यादव,
(भागीदार)

(315-बी.)

पता-148, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s KUBER SEVEN TIGERS RESORT जिसका पंजीयन क्र. 0280/19, दिनांक 07-02-2019 है जो 16 नेहरू कॉलोनी ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है जिसमें दिनांक 24-06-2019 को भागीदार श्री बुद्धी प्रकाश शर्मा पुत्र श्री चर्तुभुज शर्मा, निवासी बाल विध्या मंदिर के पास श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 24-06-2019 को (1) श्री हरीश शर्मा पुत्र स्व. श्री के. सी. शर्मा, निवासी-16, नेहरू कॉलोनी ठाटीपुर, ग्वालियर फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 24-06-2019 से फर्म का नाम फर्म Ms KUBER SEVEN TIGERS RESORT के स्थान पर M/s SEVEN TIGERS RESORT KANHA हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म-Ms KUBER SEVEN TIGERS RESORT
कुबेर शर्मा,
(भागीदार)
पता-16, नेहरू कॉलोनी ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(316-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड कैरियर्स, अमरकंटक रोड धनपुरी, 484114, जिला शहडोल को पंजीयन क्र. 664, दिनांक 02-03-1993 पर पंजीकृत फर्म है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री हनुमान प्रसाद खण्डेलवाल श्री इन्द्रजीत सिंह छावड़ा, श्री राजू शाह एवं श्री दलपत सिंह भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन द्वारा दिनांक 01-04-1996 को श्री इन्द्रजीत सिंह छावड़ा फर्म के भागीदारी से पृथक् हो गये। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-08-2014 को श्री दलपत सिंह एवं श्री राजू शाह फर्म से पृथक् हो गये और उसी दिनांक को श्री गौरव खण्डेलवाल एवं श्रीमती ईशा खण्डेलवाल फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये। सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

फर्म-मैसर्स जेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड कैरियर्स,
हनुमान प्रसाद खण्डेलवाल,
(भागीदार)

(317-बी.)

पता-अमरकंटक रोड धनपुरी, जिला शहडोल.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग अधारताल जबलपुर

प्र. क्रमांक 01/बी-113/2019-20.

जबलपुर, दिनांक 14 जून, 2019

प्रारूप-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदन श्री विद्याधर हस्तकला सामाजिक सहकार न्यास बाजनामठ जबलपुर की ओर से न्यासी श्री रोनक सिंघई पिता श्री रमेश सिंघई, निवासी- म.नं. 600, गढ़ा फाटक, लाल स्कूल के पास, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 16 जुलाई, 2019 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकारी के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम एवं पता | : | श्री विद्याधर हस्तकला सामाजिक सहकार न्यास बाजनामठ जबलपुर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | रु. 11,000/- मात्र. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 4. न्यास की आय का साधन | : | दान द्वारा. |

आशीष पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

(426)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इंदौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक डॉ, दिग्पाल धारकर पिता बसंत कुमार धारकर निवासी-राज तिलक 779/डी, मनीषपुरी, नियर साकेत, इंदौर के द्वारा

“ यशोदा एण्ड दिग्पाल धारकर चेरिटेबल ट्रस्ट, पता- राज तिलक 779/डी, मनीषपुरी, नियर साकेत, इंदौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन 4 (2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति, एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का चालान क्रमांक 84, दिनांक 26 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“ यशोदा एण्ड दिग्पाल धारकर चेरिटेबल ट्रस्ट”
पता	:	राज तिलक 779/डी, मनीषपुरी, नियर साकेत, इंदौर.
चल सम्पत्ति	:	10,000/- रुपए
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 18 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,

(427)

पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़

प्र.क्र.03/बी-113(1)/2016-17. टीकमगढ़, दिनांक 30 मई, 2019

प्रपत्र-4

[नियम 5(1) देखिए]

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

श्री श्री 1008 श्री सिद्ध शक्ति पीठ बगाज माता मंदिर ट्रस्ट ग्राम वकपुरा द्वारा आवेदक देवीसिंह सोलंकी अध्यक्ष एवं अन्य टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) द्वारा आवेदन में वर्णित न्यास/ न्यासीगण एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित चल सम्पत्ति का पंजीयन लोक न्यास में करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 01 जुलाई, 2019 को उक्त आवेदन पर विचार किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति के संबंध में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित रूप स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई, 2019 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

(लोक न्यास और चल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम:- “ श्री श्री 1008 श्री सिद्ध शक्ति पीठ माँ बगाज माता मंदिर वकपुरा ”

चल सम्पत्ति:-

श्री श्री 1008 श्री सिद्ध पीठ माँ बगाज माता मंदिर में चढ़ावा सोना, चांदी, एवं गिलट।

क्र.	आभूषण	वजन	कीमत
1	गिलट के आभूषण	97 ग्राम	
2.	चांदी के आभूषण	113.500 मिलि ग्राम	3575/- रुपये
3.	सोना के आभूषण	1.830 मिलि ग्राम	3630/- रुपये

श्री श्री 1008 श्री सिद्ध पीठ माँ बगाज माता मंदिर स्टोर सामग्री-

क्र.	सामग्री	नग	क्र.	सामग्री	नग
1.	टप	5	2.	करईया	1 बड़ी 2 छोटी
3.	परातें	2 बड़ी सिल्वर की	4.	भगोना	2 छोटे, 1 सिल्वर 1स्टील का
5.	कटोरी	60	6.	थाली खानेदार	71 स्टील की
7.	जग	5 स्टील के	8.	लोटा	2 स्टील के
9.	लोटा	8 तांबे के	10.	बाल्टी	5 स्टील की छोटी
11.	चम्पच	10 स्टील की	12.	तसला	5 स्टील के
13.	पलंग घेटी	3 बड़ी	14.	तखत	7 लकड़ी के
15.	फर्मा	2 चार पाल के	16.	फर्मा	2 आठ पाल के
17.	पंछा	13 सीलिंग	18.	कैमरा	7 सीसीटीव्ही
19.	कूलर	1	20.	अलमारी	1 छोटी
21.	गुन्डी	2 स्टील की	22.	गेंती	4
23.	फावड़ा	4	24	सब्बल	1
25.	तसला	8 लोहे एवं प्लास्टिक के	26.	मोटर	2 3-एच. पी. की
27.	पाईप लाईन साटा	500 फिट	28.	गद्दा एवं कम्मल	10-10

परिशिष्ट-2

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ति का विवरण)

अचल सम्पत्ति :-

मूर्तियां

- बगाज माता मंदिर में 04 मूर्तियां
- सत्यनारायण मंदिर में
- हनुमान जी मंदिर में
- भैरव जी मंदिर में
- बड़े मंदिर के ऊपर
- निर्माणाधीन शंकर जी मंदिर

तीन प्राचीन पत्थर की 1 वर्तमान पत्थर की वर्तमान पत्थर की शेरावाली मूर्ती एवं चरण पादुका.

सत्यनारायण भगवान की मूर्ति संगमरमर की हनुमान जी की मूर्ति वर्तमान पत्थर की भैरव जी की मूर्ति संगमरमर की चारों वेद संगमरमर की मूर्तियां प्राचीन पत्थर का शिव लिंग

धर्मशालाएं एवं खुले हाल

- धर्मशालाएं
- खुले हाल

मंदिर के पीछे धर्मशाला के पीछे टीन सेट 40 फिट में।

कृषि भूमि :- खसरा नंबर 467/1, 468/2, 472, 482, 483, 485, 486, 487/1, 488, 513/1 रकवा क्रमशः 4.167, 0.400, 0.202, 0.283, 0.118, 0.053, 0.182, 8.179, 0.085, 1.897 कुल किता 10 कुल रकवा 15.566 है। भूमि श्री बगाज माता मंदिर पंचवन के रूप में दर्ज है।

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी।

सी. पी. पटेल,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, आगर, जिला-आगर मालवा

रा. प्र. क्र.03/बी-113/2018-19.

आगर, दिनांक 12 जून, 2019

प्रस्तुप क्र.-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(2) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक, आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष।

आवेदक श्रीमती ममता पति अश्विनी बिरथे, वार्ड नं. 09, मकान नं. 142, पण्डिया गली, आगर, तहसील-आगर, जिला आगर-मालवा, (मध्यप्रदेश) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में इथोर्स एजुकेशन ट्रस्ट, तहसील-आगर, जिला आगर-मालवा, (मध्यप्रदेश) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 12 जुलाई, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लॉडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	इथोर्स एजुकेशन ट्रस्ट, तहसील-आगर, जिला आगर-मालवा, (मध्यप्रदेश) में चल संपत्ति का अनुमानित मूल्य रूपये-निरंक
------------------	---	---

महेन्द्रसिंह कवचे,
अनुविभागीय अधिकारी।

(429)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

प्र.क्र.0371/बी-121/2017-18.

(प्रास्तुप-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5(1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक श्री संतोष कुमार तिवारी, निवासी ग्राम लखाखेरा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी द्वारा बिहारी जू देव मंदिर न्यास, लखाखेरा द्वारा मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार में नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	बिहारी जू-देव मंदिर न्यास, लखाखेरा
पता	:	ग्राम लखाखेरा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी
चल संपत्ति	:	..
अचल संपत्ति	:	ग्राम बजरवारा प. ह. नं. 10 स्थित भूमि ख. नं. 10, रक्वा 1.95.

न्यास की आय के स्रोत न्यासीगण का अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां औसत सकल वार्षिक आय-लगभग पचास हजार रुपये लेख किया गया है।

आज दिनांक 17 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(430)

बलवीर रमण,
अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2019

क्रमांक C/2333.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र. सीरीज) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र. सीरीज) की अतिरिक्त उपलब्ध एक प्रति का मूल्य 100/- रुपये (सौ रुपये) एवं वार्षिक अभिदान 1200/- रुपये (एक हजार दो सौ रुपये) निर्धारित करता है। यह मूल्य वृद्धि वर्ष 2019 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी।

ज्ञानेश्वर बी. पाटिल,
नियंत्रक.

(454)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/846.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 914, दिनांक 02 मई, 2009, आदर्श चर्मद्वोग सहकारी संस्था मर्या., बावड़ीखेड़ा, तहसील कन्नौज, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 593, दिनांक 20 मार्च, 1996 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1432, दिनांक 05-08-2012 से श्री आर. एस. मेहर, स.नि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(431)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/847.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2169, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछी, तहसील खातेगाँव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 935, दिनांक 29 मार्च, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्य. दुग्ध संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री आर. के. सोनी, स.नि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(432)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/848.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 262, दिनांक 10 फरवरी, 2016, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलाखाल, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 31 मार्च, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. खरे, पर्य. दुग्ध संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री ए. के. जैन, स.नि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/849.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1614, दिनांक 14 जून, 2012, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राजड़ी, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 17 मई, 2005 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एन. पाटीदार, पर्य. दुग्ध संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री ए. के. जैन, स.नि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/850.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 485, दिनांक 19 फरवरी, 2014, श्री बालाजी फल/बीज सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक JR/33, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1425, दिनांक 05-08-2017 से श्री संजय देवलालीकर, उप. अंके. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/851.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1962, दिनांक 21 जून, 2007, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनवानी गोपाला, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 361, दिनांक 25 सितम्बर, 1980 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. एस. भाटी, व. सह. निरी. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्रीमती प्रेरणा जाम्बेकर, उप अंकेक्षक वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/852.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 511, दिनांक 25 मार्च, 2006, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोदमण्डी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 16 जून, 1982 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. के. सोनी, सह. निरी. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./658, दिनांक 24-04-2015 से श्री आर. के. सोनी, स. नि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/853.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 871, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, माँ चामुण्डा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास,

तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 848, दिनांक 20 फरवरी, 1998 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री प्रमोद तोमर, व. सह. निरी. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1429, दिनांक 05-08-2017 से श्रीमती अनिता मेहरा, स. नि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(438)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/854.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1753, दिनांक 17 सितम्बर, 2009, नेशनल पेराक्साइड साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 16 मई, 1990 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती शीला शर्मा, व. स. नि. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./25, दिनांक 03-01-2012 से श्रीमती प्रेरणा जाम्बेकर, उप अंके. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(439)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/855.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2549, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017, चामुण्डा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री विवेक व्यास, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/856.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 486, दिनांक 19 फरवरी, 2014, जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जानसूर, तहसील सतवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक JR/32, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आई. एम. कुरैशी, सहकारी निरीक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1652, दिनांक 23-09-2015 से श्री पी. एस. निगवाल, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(441)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/857.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 339, दिनांक 16 फरवरी, 2016, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिली, तहसील खांतेगाँव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1310, दिनांक 30 मार्च, 2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्य. दुग्ध संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री डी. एस. बाल्के, अंके. अधि. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(442)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/858.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 389, दिनांक 25 जनवरी, 2018, ज्वाला देवी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 15 फरवरी, 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,

1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(443)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/859.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1587, दिनांक 13 जून, 2012, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेलाखेड़ी, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 29 मई, 2000 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्य. दुर्घ संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री ए. के. जैन, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(444)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/860.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 856, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उपड़ीहार, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1381, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पी. के. जैन, पर्य. दुर्घ संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्रीमती अनिता मेहरा, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(445)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/861.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 581, दिनांक 13 जून, 2012, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा, तहसील खांतेगाँव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1036, दिनांक 04 दिसम्बर, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्व. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री आर. के. सोनी, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(446)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/862.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2956, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007, चन्द्रवंशीय साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री मनोहर गौरे, विरष्ट सहकारी निरीक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./2628, दिनांक 10-10-2013 से श्रीमती प्रेरणा जाम्बेकर, उप. अंके. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(447)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/863.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1760, दिनांक 27 अगस्त, 2008, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटोनीपरमार, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 732, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. के. सोनी, वरि. सह. निरी. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री मनीष चौधरी, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(448)

देवास, दिनांक 13 जून, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/864.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1579, दिनांक 13 जून, 2012, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावल्या, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 01 अप्रैल, 1984 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्य. दुग्ध संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्री ए. के. जैन, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449)

मनोज कुमार गुप्ता,
उप-पंजीयक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019-आषाढ़ 14, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 जनवरी, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य में आकाश मेघाच्छादित रहा है। राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(अ)-0.01 मि. मी. से 17.04 मि. मी. तक:- तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), शिवपुरी, नरवर, बैराड़, पोहरी (शिवपुरी), दमोह (दमोह), रघुराजनगर, मझगवां, रामपुर बघेलान, रामनगर महैर, विरसिंहपुर (सतना), त्योथर, सिरमोर, मनगवां, सेमरिया (रीवा), सोहागपुर, व्यवहारी, जयसिंहनगर, बुढार, गौहपारू, जैतपुर (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, चुरहट, सिहांबल, मझोली, कुसमी, बहरी, रामपुरनैकिन (सीधी), बहोरीबन्द, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, मुड़वारा, विजयराघवगढ़, बरही (कटनी), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी (मण्डला), डिन्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामिया, परासिया, जुनारदेव (छिन्दबाड़ा), में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब)-17.05 मि. मी. से 37.09 मि. मी. तक:- तहसील अमरपाटन (सतना), मऊगंज, हुजूर, रामपुरकरुलियान (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), नारायणगंज (मण्डला), बजाग (डिन्डोरी), सोंसर, विछुआ, उमरेठ, मोहखेड़, हरई (छिन्दवाड़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स)-35.00 मि. मी. से 53.01 मि. मी. तक:- तहसील उचैरा (सतना), गुड़ (रीवा), अमरबाड़ा, चौरई, चांद, पान्डुर्ना (छिन्दबाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द)-53.02 मि. मी. से 244.09 मि. मी. तक:- तहसील जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई :- जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, बड़वानी, कटनी, डिण्डोरी, व बालाघाट में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, अनूपपुर, बड़वानी, कटनी व डिण्डौरी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
4. फसल स्थिति :-राज्य के जिला उमरिया में फसल ओला, पाला नीमच में धनिया पाला से आंशिक छति जिला रत्लाम में गेहूँ, चना में आंशिक छति जिला नरसिंहपुर में ओलावृष्टि से 10 प्रतिशत छिन्दवाड़ा में 33 ओर सिवनी 30 प्रतिशत छति होना प्रतिवेदित किया गया है।
5. कटाई :- जिला गुना में सरसों, आगर में गेहूँ, चना तथा खण्डवा में तुअर की कटाई चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
6. सिंचाई :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरोली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
7. पशुओं की स्थिति:-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
8. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
9. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
10. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 जनवरी, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाइ पर, अगर धान की रोपाइ होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर .. 2.0 5.0	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा, मैथी समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) सरसों, गेहूँ चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरग्वार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. शिवपुरी	1.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	3.0				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	3.0				
8. बैराढ़	1.0				
9. बद्रबास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ीरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	सरसों कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों अधिक. तूअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सबाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर 6. देवेन्द्रनगर 7. अमानगंज 8. सिमरिया 9. रैपुरा				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ जौ, चना, मसूर, मटर, तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी गन्ना कम. आलू-प्याज अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़कोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. तुअर चना, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जबेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा 3.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. गेहूँ चना, मसूर, सरसों, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	13.5 7.0 11.0 6.3 39.0 20.0 13.0 11.0 .. 2.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ चना, अलसी, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जबा 10. नईगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान	17.0 11.4 21.0 .. 18.9 37.2 8.0 14.0 17.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक. (2) तुअर बिगड़ी हुई हैं. शेष फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढार 5. गोहपारू 6. जैतपुर	7.0 13.0 3.0 8.0 3.0 5.0				
17. जिला अनूपपुरः	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, मटर, गेहूँ चना, अधिक अलसी, मसूर समान. (2) तुअर, मटर मसूर बिगड़ी. गेहूँ चना सुधरी. अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	60.7 29.5 17.2 75.7				
18. जिला उमरियाः	मिलीमीटर	2. ओला पाला से फसलों को क्षती हुई है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चंदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर	4.6 12.3 12.3				
19. जिला सीधीः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुर्नैकिन	6.8 4.0 15.0 4.0 7.0 6.2 3.7				
20. जिला सिंगरौलीः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ राई-सरसों, अलसी समान. (2) तुअर बिगड़ी हुई है. राई, सरसों, अलसी समान है. गेहूँ चना, जौ सुधरी हुई है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगरौली				
21. जिला मंदसौरः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. दलोदा 9. धुंधड़का 10. संजीत 11. कयामपुर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 पाला से धनियां, चना में आशिक नुकसान.	3. . . 4.(1) गेहूँ सरसों, मटर, अलसी अधिक. चना, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2 गेहूँ, चना, रावा में आशिक क्षती.	3. . . 4. (1) गेहूँ, रावा, चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4. (1) चना अधिक. मसूर, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौदा	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ादिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ादिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2 . .	3. . . 4. (1) उड्ड (रबी), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मूँग(रबी), चना कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिल्ला	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड(रबी), मसूर, मटर, गाई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सौंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. गौतमपुरा 5. हातोद 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगावं 4. खरगौन 5. गोगवां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगाव 9. सनावद 10. दिशरन्या	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, गाई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजकोट 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाती	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंथाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) गेहूँ समान. चना सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्योदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तिवड़ा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मसूर, गांजा, गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	..				
2. भैसदेही	..				
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से 3/10% कुकसान.	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हर्डिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	..				
3. सोहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, राई-सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	3.6				
2. ढीमरखेड़ी	2.0				
3. रीठी	9.0				
4. बड़वारा	9.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	12.2				
6. विजयराघवगढ़	8.0				
7. बरही	4.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से 10% क्षती हुई है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेंगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदुखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधारी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	9.0 13.0 17.3 15.0 22.8 7.6				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	3.7 1.4 27.1				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ओला वृष्टि हर्दि है. 33% क्षती की सम्भावना है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुन्नारदेव 5. सांसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरठ 10. मोहखेड़े 11. हर्दि 12. चारू 13. पाढुर्णा	14.2 7.2 12.3 7.8 20.0 30.0 36.4 38.2 19.0 31.2 17.6 39.2 36.8				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ओला वृष्टि से 30% क्षती हुई है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख, तिवड़ा, तुअर (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरधाट 3. कुरई 4. केवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(425)